

रजिस्टर्ड ए० डी०

भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो
क्षेत्रीय खान नियन्त्रक का कार्यालय
माखूपुरा औद्योगिक क्षेत्र, अजमेर-305002



ई मेल-: ro.ajmer@ibm.gov.in

सं०:- राज / JPR -185/Fe-16

Government of India

Ministry of Mines

Indian Bureau of Mines

Office of the Regional Controller of Mines.

Makhupura Industrial Area, Ajmer -305002

Ph-145-2695165 / 2695476 Fax-2695202

दिनांक.

प्रेषित मनोज केड़िया,
निवासी – एफ-109, वैकटेश्वर टावर,
सेन्ट्रल स्पाइन, विद्याधर नगर,
जयपुर – 302 023 (राज.)

ईमेल – kediaminerals@rediffmail.com

विषय: राजस्थान राज्य के जयपुर जिले में स्थित आपकी लुहाखाना लौह अयस्क खान क्षेत्रफल 4.455 हैक्टेयर (एम एल. 2/99) हेतु खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 के नियमों का उल्लंघन। (**MINE CODE 30RAJ13016**)

महोदय,

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 30/12/2016 को उपरोक्त खान के निरीक्षण में पाया गया है कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 1988 (संशोधित एमसीडीआर 2011) के निम्नलिखित उपबन्धों का उल्लंघन किया है।

Rule No	Nature of violations observed in detail
13(1)	The mining operations had not been carried out in accordance to the approved mining plan to the extent as below. (i) The advancement of the benches in proposed towards southern side of the pit is not carried out as per proposal given in approved mining plan.
23E(2)	The annual compliance report (2015-16) of the work in mine actually carried out vis – a – vis to the proposals of approved progressive mine closure plan for mineral conservation & mine rehabilitation required to be submitted up to 1 July 2016 to the Regional Controller has not been submitted till date.
45(5) (aa)	Monthly return required to be submitted to the Regional Controller of Mines before 10th day of every month in respect of the preceding month in electronic form, along with a print-copy of the same, if it is not digitally signed in the respective form as prescribed under rule, has not been submitted online from the month of April, 2016 to Sept. 2016..

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान पुनः आर्कषित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 के नियम 58 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 (संशोधित एमसीडीआर 2011) के नियम 13(2) के अंतर्गत
 - (क) खदान की सारी संकियाएं बंद की जा सकती हैं।
 - (ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।
 - (ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है।
03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैतालिस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(के.के. टारडिया)
उप खान नियन्त्रक
भारतीय खान ब्यूरो

मूल पर नहीं / प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

- 1) खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, अजमेर।
- 2) खनि अभियन्ता,, खान एवं भूविज्ञान विभाग, Jaipur को सूचनार्थ प्रेषित।

उप खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो